उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,लखनऊ

विज्ञापन संख्या:- 22-परीक्षा / 2016

सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन) प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2016 (II)

(आयोग के विज्ञापन संख्या:- 22-परीक्षा / 2016 के क्रम मे विज्ञापन के परिमार्जनोंपरान्त ऑनलाइन आवेदन हेतु निर्धारित तिथियाँ)

परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि – 15.12.2016

ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि – 17.12.2016

आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि – 19.12.2016

आयोग के विज्ञापन संख्या:- 22-परीक्षा/2016 द्वारा सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन) प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2016 के अंतर्गत 14 विभागों में विभिन्न प्रकार के रिक्त कुल 641 पदों, जिनका आरक्षित श्रेणीवार विवरण आगे बिन्दु-7 की सारणी-1 में दिया गया है, के सापेक्ष चयन हेतु, भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उक्त समस्त रिक्त पदों के लिए अभ्यर्थी को केवल एक ही आवेदन सबमिट (SUBMIT) करना है।

विशेष नोट :- इस विज्ञापन के अन्तर्गत जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण कर अन्तिम रूप से अपने आवेदन सबमिट कर दिये हैं उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है ।

विशेष सूचना

परीक्षा शुल्क का भुगतान रजिस्ट्रेशन होने के अगले कार्य दिवस को या उसके बाद किया जा सकता है। बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा शुल्क जमा करने एवं आवेदन सबमिट करने की दशा में ही उसका आवेदन पूर्ण होगा। यदि निर्धारित अंतिम तिथि के बाद बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार नहीं होगा, उसे निरस्त माना जाएगा। जमा शुल्क किसी भी दशा में किसी अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा। निर्धारित अंतिम तिथि तक शुल्क बैंक में जमा करना तथा निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन सबमिट (SUBMIT) करने का दायित्व अभ्यर्थी का है। कृपया एक रजिस्ट्रेशन नंबर पर एक बार से अधिक फीस का भुगतान न करें।

2- ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई प्रमाण पत्र / अंक तालिका आदि प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना –

इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति (online application system) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन ही करें।

"ऑनलाइन आवेदन" करने के संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित निर्देशों को भली-भांति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें ।

आयोग की वैबसाइट http://upsssc.gov.in पर "ऑल नोटीफिकेशन / एडवरटिजमेंट डिटेल्स" (all notification / advertisement details) अभ्यर्थी द्वारा क्लिक करने पर ऑनलाइन एडवरटिजमेंट स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं :-

1- यूजर इन्सट्रक्शन (user instruction)

2- व्यू एडवरटिजमेंट (view advertisement)

3- अप्लाई (apply)

यूजर इन्सट्रक्शन (user instruction)- में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से संबन्धित दिशा- निर्देश दिये गए हैं। इसके बाद अभ्यर्थी व्यू एडवरटिजमेंट (view advertisement) को क्लिक करें। ऐसा करने पर पूरा विज्ञापन प्रदर्शित होगा। आवेदन हेतु अप्लाई (apply) पर क्लिक करें। ऑनलाइन आवेदन करने का कार्य निम्नांकित तीन स्तरों पर किया जाएगा :-

प्रथम स्तर – अप्लाई क्लिक करने पर परिशिष्ट -1 में परीक्षा के सापेक्ष कैंडीडेट रजिस्ट्रेशन (candidate registration) क्लिक करने पर अभ्यर्थी का बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म (परिशिष्ट -2) प्रदर्शित होगा।

फॉर्म भरने के पश्चात सबमिट (Submit) बटन पर क्लिक करने से प्रथम चरण का पंजीकरण पूर्ण हो जाएगा। तत्पश्चात (कैंडीडेट रजिस्ट्रेशन एकनोलेजमेंट) (परिशिष्ट -3) प्रदर्शित होगा, जिसे प्रिंट पर क्लिक करके मुद्रित किया जा सकेगा। मुद्रित करने के बाद अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग (Gender), शैक्षिक योग्यता/अर्हता, प्राप्तांक एवं पूर्णांक को अवश्य जांच लें । यदि उसमें कोई गलती हो तो तत्काल पुनः रजिस्ट्रेशन कर लें । रजिस्ट्रेशन के बाद अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टियाँ अंतिम होंगी और एक बार SUBMIT होने के बाद इनमें किसी प्रकार संशोधन सम्भव नहीं है अतः इस विषय में की गयी कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी।

द्वितीय स्तर – परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु वेबसाइट पर दिये गए लिंक को क्लिक करें, शर्तों को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। इसके बाद स्टेट बैंक कलेक्ट पर जाकर ई-चालान या ऑनलाइन माध्यमों (इंटरनेट बैंकिंग / कार्ड्स) से परीक्षा शुल्क जमा किया जा सकता है। कैटेगरी का चयन करें, रजिस्ट्रेशन संख्या, जन्मतिथि (dd/mm/yyyy के रूप में) भरें एवं सबमिट करें। स्क्रीन पर भरी हुई सभी प्रविष्टियाँ सत्यापित करें एवं सत्यापित प्रविष्टियाँ भरें एवं सबमिट करें। इन्हें पुनः सत्यापित कर कन्फ़र्म करें। अब पेमेंट ऑप्शन्स स्क्रीन पर दिखाई देंगे। इनमें से भुगतान का माध्यम चयन करें। SBI इंटरनेट बैंकिंग / डेबिट कार्ड /क्रेडिट कार्ड /अदर बैंक इंटरनेट बैंकिंग, अथवा SBI की किसी शाखा में नकद भुगतान के लिए ई-चालान के लिए SBI ब्रांच का चयन करें। ई-चालान भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा पर जमा किया जा सकता है। यदि ऑनलाइन भुगतान का चयन किया गया है तो स्क्रीन पर दिये गए निर्देशों के अनुसार भुगतान की प्रक्रिया सम्पन्न होगी। ई-चालान के साथ भारतीय स्टेट बैंक की, जिले की, किसी भी शाखा में जाकर निर्धारित धनराशि (ई-चालान में मुद्रित होगी) जमा करके भुगतान की प्रक्रिया सम्पन्न करने के पश्चात विभाग की वैबसाइट पर प्रिंट ई- रिसीप्ट के आप्शन का चयन करते हुए ई-रिसीप्ट का प्रिंट आउट प्राप्त कर लें। ई-चालान की एक प्रति बैंक से प्राप्त कर लें तथा इसे अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। बैंक द्वारा अभ्यर्थी को वापस की गयी ई-चालान की प्रति में बैंक द्वारा ट्रांजेक्सन आई. डी / जरनल नंबर (डीयू.........) छपी हुई होगी जिसका उपयोग तृतीय स्तर पर आवेदन-पत्र भरते समय अभ्यर्थी को करना होगा। ऑनलाइन शुल्क जमा करते समय स्क्रीन पर (डीयू.........) ट्रांजेक्शन नंबर दिखाया जाएगा जिससे ई-रिसीप्ट का प्रिंट भी लिया जा सकता है।

तृतीय स्तर- बैंक में शुल्क जमा करने के दिनांक के बाद दो दिन छोड़कर अग्रेतर कार्य दिवस में (अपरान्ह 2 बजे के पश्चात) अभ्यर्थी द्वारा आयोग की वैबसाइट पर प्रदर्शित सबमिट एप्लिकेशन फार्म बटन को क्लिक करने पर प्रदर्शित फ़ार्मेट में ऑनलाइन सूचनाएँ भरनी होगी तथा फोटो और हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा। उसका नमूना परिशिष्ठ -6 पर है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है की वे अपने हाल के नवीनतम, आवक्ष तक के रंगीन फोटोग्राफ सफ़ेद पृष्ठभूमि के साथ तथा नमूना हस्ताक्षर की स्कैनिंग करके प्रविष्ट (upload) करेंगे। फोटोग्राफ,(*.jpe,*.jpeg,*.jpg) के प्रारूप पर होगा जिसका आकार 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी काली स्याही से हस्ताक्षर करके उसको स्कैन करेंगे। यदि फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके अपलोड नहीं किया जाता तो ऑनलाइन आवेदन, सिस्टम पर स्वीकार नहीं होगा। फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया (परिशिष्ट-7) में दी गई है। अभ्यर्थी फोटो अपलोड करने के उपरांत वेरिफिकेशन कोड डालकर जब सबमिट करेगा तो आवेदन प्रारूप पर सभी प्रविष्टियाँ अंकित करने के बाद "व्यू एप्लीकेशन फार्म"

को क्लिक करके अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं को देख लें कि सभी सूचनाएँ सही-सही भरी गयी है और पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ऑनलाइन आवेदन आयोग को प्रेषित करने हेतु "सबमिट" बटन को क्लिक करें,अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनाएं सही- सही निर्देशानुसार ऑनलाइन फार्मेट में भरकर आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक सबमिट बटन को क्लिक करना आवश्यक है, यदि अभ्यर्थी द्वारा सबमिट बटन को क्लिक नहीं किया जाएगा तो आवेदन सबमिट नहीं होगा। इसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा। "सबमिट" बटन को क्लिक करने के पश्चात आवेदन का प्रिंटआउट परिशिष्ट-7ए लेकर अभ्यर्थी इसे अपने पास सुरक्षित रखें । अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन करते समय पूरी सावधानी बरतें। चूंकि किसी विसंगति के लिए आयोग जिम्मेदार न होगा।

नोट- अभ्यर्थी कृपया ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्तर का अनुपालन सुनिश्चित कर लें। यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन शुल्क जमा करने के बाद तृतीय स्तर में दी गयी प्रक्रिया पूर्ण नहीं करता है और उसके अंतर्गत अंतिम रूप से अपना आवेदन सबमिट नहीं करता है तो आवेदन की प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी। अभ्यर्थी के अंतिम रूप से आवेदन सबमिट न करने की दशा में उनका आवेदन अपूर्ण रह जाएगा और उसके लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

3. एक बार आवेदन "सबमिट" करने के पश्चात उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

4. <u>आवेदन शुल्क</u> – ऑनलाइन आवेदन के कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का प्रारूप भरने के बाद उपरिवर्णित विधि से परीक्षा शुल्क का भुगतान करेंगे। स्टेट बैंक ई- कलेक्ट के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से जमा शुल्क स्वीकार नहीं होगा। आवेदन हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है:-

क्र० सं०	श्रेणी	आवेदन शुल्क	ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क	(आवेदन शुल्क + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क) योग
(1)	अनारक्षित (सामान्य)	200.00	25.00	225.00
(2)	अन्य पिछड़ा वर्ग	200.00	25.00	225.00
(3)	अनुसूचित जाति	80.00	25.00	105.00
(4)	अनुसूचित जनजाति	80.00	25.00	105.00
(5)	विकलांगजन	---	25.00	25.00

<u>नोट</u>- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिकों, एवं महिला अभ्यर्थियों को क्रमांक-1 से 5 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा ।

5.अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाये जाने पर अभ्यर्थी को आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त चयनों / परीक्षाओं से डिबार करने की कार्यवाही तथा अन्य दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

6. सबमिट किये गए आवेदन में यदि अभ्यर्थी कोई संशोधन करना चाहते हैं तो निर्धारित अंतिम तिथि तक वे दूसरा आवेदन (सेकंड रजिस्ट्रेशन) संशोधित सूचना के साथ, पुनः आवेदन शुल्क जमा करके ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। पहले आवेदन में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा

और उसका समायोजन अन्य आवेदन में भी नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा उक्त पदों के लिए एक से अधिक आवेदन "सबमिट" करने की दशा में अंतिम आवेदन ही स्वीकार होगा, शेष सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे।

7. विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर 641पदों का श्रेणीवार विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:-

सारिणी-1

					रिक्त पदों का श्रेणीवर विवरण					
पद क्रम सं०	विभाग का नाम	पद नाम	वेतन बैन्ड / वेतनमान / ग्रेड पे	जुलाई 01, को 2016 आयु -न्यूनतम) (अधिकतम वर्षों में	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल पद	पदों की प्रकृति
1(i)-	निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।	अपर जिला सूचना अधिकारी (उर्दू)	रु०5200-20200/- ग्रेड पे-2800/-	18-40	10	03	00	04	17	अस्थायी
(ii)		क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारी	रु०9300-34800/- ग्रेड पे-4200/-	18-40	05	02	00	01	08	अस्थायी
2-	निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, कानपुर।	पुस्तकालयाध्यक्ष	रु०5200-20200/- ग्रेड पे-2800/-	21-40	41	12	02	14	69	अस्थायी
3(i)-	निदेशक, विकलांगजन विकास विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।	पुस्तकालयाध्यक्ष	रु०5200-20200/- ग्रेड पे-2800/-	21-40	02	01	00	01	04	अस्थायी
(ii)		छात्रावास अधीक्षक	रु०5200-20200/- ग्रेड पे-2800/-	21-40	04	01	00	02	07	अस्थायी
(iii)		प्रूफ रीडर	रु०5200-20200/- ग्रेड पे-1900/-	18-40	01	00	00	00	01	अस्थायी
(iv)		मोबिलटी अध्यापक	रु०5200-20200/- ग्रेड पे-2800/-	21-40	05	01	00	01	07	अस्थायी

4(i)-	निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ०प्र०, लखनऊ।	पुस्तकालयाध्यक्ष	रु०5200-20200/- ग्रेड पे-2800/-	21-40	01	00	00	00	01	स्थायी
(ii)		सहायक भण्डारी	रु०5200-20200/- ग्रेड पे-1900/-	21-40	43	18	01	24	86	
5-	नियंत्रक विधिक माप विज्ञान, उ०प्र०, लखनऊ।	निरीक्षक विधिक माप विज्ञान	रु०9300-34800/- ग्रेड पे-4200/-	21-40	14	07	00	05	26	स्थायी
6-	आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक, उ०प्र०, लखनऊ।	कलाकार	रु०5200-20200/- ग्रेड पे-2800/-	21-40	27	10	01	14	52	स्थायी
7(i)-	निदेशक, महिला कल्याण विभाग, उ०प्र०,लखनऊ।	अन्वेषक	रु०5200-20200/- ग्रेड पे-2800/-	21-40	03	01	00	01	05	स्थायी
(ii)		व्यायाम प्रशिक्षक	रु०5200-20200/- ग्रेड पे-2800/-	21-40	00	00	00	01	01	स्थायी
(iii)		सहायक अधीक्षक (राजकीय सम्प्रेक्षण गृह / बाल सदन)	रु०5200-20200/- ग्रेड पे-2800/-	21-40	07	01	00	01	09	अस्थायी
(iv)		सहायक अधीक्षक (बालिका राजकीय संरक्षण गृह)	रु०5200-20200/- ग्रेड पे-2800/-	21-40	02	00	00	01	03	अस्थायी
(v)		सहायक अधिक्षिका (जिला शरणालय प्रवेशालय केंद्र महिला)	रु०5200-20200/- ग्रेड पे-2800/-	21-40	02	00	00	00	02	अस्थायी

(vi)		क्राफ्ट टीचर (केवल महिलाओं हेतु)	रु०5200-20200/- ग्रेड पे-2400/-	18-40	05	00	00	02	07	अस्थायी
(vii)		सहायक अध्यापक	रु०5200-20200/- ग्रेड पे-2400/-	18-40	02	07	01	10	20	अस्थायी
8-	निदेशक, प्रशिक्षण प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ०प्र०, लखनऊ।	पुस्तकालय सहायक	रु०5200-20200/- ग्रेड पे-1900/-	21-40	01	00	00	00	01	स्थायी
9-	निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ०प्र०,लखनऊ।	पर्यवेक्षक, वर्ग-3	रु०5200-20200/- ग्रेड पे-2400/-	18-40	43	00	02	27	72	
10-	राज्य मद्यनिषेध विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।	प्राविधिक पर्यवेक्षक	रु०5200-20200/- ग्रेड पे-2000/-	18-40	05	00	00	00	05	स्थायी
11-	उ०प्र०खादी मोद्योग तथा ग्रा बोर्ड, लखनऊ।	औद्योगिक सहकारी पर्यवेक्षक	रु०5200-20200/- ग्रेड पे-2000/-	18-40	23	08	01	10	42	
12(i)-	विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश।	प्रयोगशाला सहायक (भौतिक)	रु०5200-20200/- ग्रेड पे-2400/-	21-40	07	02	00	02	11	अस्थायी निरन्तर चलते रहने की सम्भावना है।
(ii)		प्रयोगशाला सहायक (रसायन)	रु०5200-20200/- ग्रेड पे-2400/-	21-40	05	01	00	02	08	
(iii)		प्रयोगशाला सहायक (जीव विज्ञान)	रु०5200-20200/- ग्रेड पे-2400/-	21-40	05	01	00	02	08	
(iv)		प्रयोगशाला सहायक (कम्प्यूटर फारेन्सिक)	रु०5200-20200/- ग्रेड पे-2400/-	21-40	03	00	00	00	03	

(v)		वैज्ञानिक सहायक (भौतिक)	रु०9300-34800/- ग्रेड पे-4200/-	21-40	24	09	00	11	44	अस्थायी निरन्तर चलते रहने की सम्भावना है।
(vi)		वैज्ञानिक सहायक (रसायन)	रु०9300-34800/- ग्रेड पे-4200/-	21-40	22	08	00	10	40	
(vii)		वैज्ञानिक सहायक (जीव विज्ञान)	रु०9300-34800/- ग्रेड पे-4200/-	21-40	22	08	00	10	40	
(viii)		वैज्ञानिक सहायक (कम्प्यूटर फारेन्सिक)	रु०9300-34800/- ग्रेड पे-4200/-	21-40	03	01	00	01	05	
13-	निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।	छात्रावास सहायक (पूर्व पदनाम गृहमाता केवल महिलाओं हेतु)	रु०5200-20200/- ग्रेड पे-2000/-	18-40	18	07	01	10	36	अस्थायी
14-	प्रमुख संपादक,जिला गजेटियर विभाग,उ0 प्र0 जवाहर भवन,लखनऊ	पुस्तकालयाध्यक्ष	रु०5200-20200/- ग्रेड पे-2800/-	21-40	01	00	00	00	01	अस्थायी
	कुल पद				356	109	09	167	641	

<u>नोट-</u> (i) उपर्युक्त विभागों में रिक्त सभी पदों के लिए केवल एक ही आवेदन करना है।

(ii) क्रम संख्या:-07 –iv, v,vi तथा 13 पर उल्लिखित छात्रावास सहायक के पद केवल महिला अभ्यर्थियों से ही भरे जाने हैं। अत: इस पद हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र हैं।

(iii) उपर्युक्त सारिणी के क्रमांक-6 पर उल्लिखित कलाकार का पद विकलांगजन हेतु चिन्हित नहीं है।

विभागवार क्षैतिज आरक्षण

उपर्युक्त सारणी 1-में उल्लिखित पदों में क्षैतिज आरक्षण के संबंध में विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया विवरण निम्नवत है-:

सारिणी-2

विभाग का नाम	पदनाम	क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी	पदों की संख्या
निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।	अपर जिला सूचना अधिकारी (उर्दू)	(i)- महिला	03
	क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारी	(i)- महिला	01
निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, कानपुर।	पुस्तकालयाध्यक्ष	(i)- स्व०संग्राम सेनानी के आश्रित (ii)-विकलांगजन(चलनक्रिया सम्बन्धी अशक्तता) (iii)- भूतपूर्व सैनिक (iv)- महिला	01 02 03 13
निदेशक, विकलांगजन विकास विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।	छात्रावास अधीक्षक	(i)- महिला	01
	मोबिलटी अध्यापक	(i)- महिला	01
निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ०प्र०, लखनऊ।	सहायक भण्डारी	(i)- स्व०संग्राम सेनानी के आश्रित (ii)- विकलांगजन (iii)- भूतपूर्व सैनिक (iv)- महिला	01 02 03 17
नियंत्रक विधिक माप विज्ञान, उ०प्र०, लखनऊ।	निरीक्षक विधिक माप विज्ञान	(i)- भूतपूर्व सैनिक (ii)- महिला	01 05
आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक, उ०प्र०, लखनऊ।(विकलांगजन हेतु पद चिन्हित नहीं)	कलाकार	(i)- स्व०संग्राम सेनानी के आश्रित (ii)- भूतपूर्व सैनिक (iii)- महिला	01 02 10
निदेशक, महिला कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।	अन्वेषक	(i)- महिला	01
	सहायक अधीक्षक (राजकीय सम्प्रेक्षण गृह / बाल सदन)	(i)- महिला	01
	क्राफ्ट टीचर (महिला)	(i)- महिला	07
	सहायक अध्यापक	(i)- महिला (ii)- भूतपूर्व सैनिक	04 01

निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ०प्र०, लखनऊ।	पर्यवेक्षक, वर्ग-3	(i)- स्व०संग्राम सेनानी के आश्रित (ii)- विकलांगजन (i)- भूतपूर्व सैनिक (ii)- महिला	01 02 03 14
राज्य मद्यनिषेध विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।	प्राविधिक पर्यवेक्षक	(i)- महिला	01
उ०प्र०खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।	औद्योगिक सहकारी पर्यवेक्षक	(i)- विकलांगजन (ii)- भूतपूर्व सैनिक (iii)- महिला	01 02 08
विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश।	प्रयोगशाला सहायक (भौतिक)	(i)- महिला	02
	प्रयोगशाला सहायक (रसायन)	(i)- महिला	01
	प्रयोगशाला सहायक (जीव विज्ञान)	(i)- महिला	01
विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश।	वैज्ञानिक सहायक (भौतिक)	(i)- विकलांगजन (ii)- भूतपूर्व सैनिक (iii)- महिला	01 02 08
	वैज्ञानिक सहायक (रसायन)	(i)- विकलांगजन (ii)- भूतपूर्व सैनिक (iii)- महिला	01 02 08
	वैज्ञानिक सहायक (जीव विज्ञान)	(i)- विकलांगजन (ii)- भूतपूर्व सैनिक (iii)- महिला	01 02 08
	वैज्ञानिक सहायक (कम्प्यूटर फारेन्सिक)	(i)- महिला	01
निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।	छात्रावास सहायक (पूर्व पदनाम गृहमाता)	(i)- विकलांगजन (ii)- भूतपूर्व सैनिक	01 01

<u>टिप्पणी</u>

(1)- उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित पदों के सापेक्ष आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी, जो 01 जुलाई, 2016 को पद के सम्मुख अंकित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं और पद हेतु विहित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, जिसका उल्लेख आगे सारणी-3 में किया जा रहा है, धारित करते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

(2)- विकलांगजनों (केवल चिन्हित पदों पर), महिलाओं, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों तथा भूतपूर्व सैनिकों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक शासनादेशों में विहित नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(3)- उत्तर प्रदेश शासन के आरक्षण संबंधी नवीनतम अधिनियमों शासनादेशों में निर्धारित/ अध्यादेशों/नीति निर्देशों के अनुरूप आरक्षित रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

(4)- उपर्युक्त सारणी-1 व 2 में श्रेणीवार पदों की संख्या संबन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए आरक्षित श्रेणीवार रिक्त पदों की सूचना पर आधारित है।

(5)- रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है।

8-अनिवार्य अर्हता(शैक्षिक):-उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित पदों पर भर्ती हेतु विहित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एवं अधिमानी अर्हता जो निम्न सारणी-3 में, पदनाम के सम्मुख अंकित है, आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित करने वाले अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:-

सारिणी-3

पद क्रमांक	विभाग का नाम	पद नाम	अनिवार्य अर्हता / अधिमानी अर्हता
1(i)-	निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।	अपर जिला सूचना अधिकारी (उर्दू)	1-भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि जिसमें उर्दू एक विषय रहा हो, और माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा जिसमें अंग्रेजी एक विषय रहा हो, अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए। **अधिमानी:-** उर्दू के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में स्नातक उपाधि।
(ii)		क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारी	1-भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। 2-किसी सरकारी विभाग में दृश्य प्रचार का अनुभव अवश्य होना चाहिए।
2-	निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, कानपुर।	पुस्तकालयाध्यक्ष	1-स्नातक उपाधि के साथ लाइब्रेरी साइन्स में डिप्लोमा।
3 (i)-	निदेशक, विकलांगजन विकास विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।	पुस्तकालयाध्यक्ष	1-भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। 2-किसी मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा प्रमाण पत्र। 3-ब्रेल लिपि का ज्ञान
(ii)		छात्रावास अधीक्षक	1-किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र या मनोविज्ञान विषय से स्नातक की उपाधि। 2-किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से दृष्टिबाधितार्थ क्षेत्र में डिप्लोमा/ डिग्री। 3-ब्रेल लिपि में पठन पाठन का ज्ञान।
(iii)		प्रूफ रीडर	इंटरमीडिएट ब्रेल लिपि का ज्ञान तथा 03 वर्ष का अनुभव।
(iv)		मोबिलटी अध्यापक	1-भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। 2-किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से दृष्टिबाधित के चलन क्रिया में प्रशिक्षण देने में डिप्लोमा। 3-दृष्टिबाधित विकलांगजन को चलन क्रिया का प्रशिक्षण देने का 03 वर्ष का अनुभव। 4-भारतीय पुनर्वास परिषद भारत सरकार में मोबिलिटी अध्यापक / इंस्ट्रक्टर के रूप में पंजीकरण अनिवार्य।

4(i)-	निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ०प्र०, लखनऊ।	पुस्तकालयाध्यक्ष	1-माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से इंटरमीडिएट की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए। 2-पुस्तकालय विज्ञान का प्रमाणपत्र। 3-हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान। अधिमानी- 1-अंग्रेजी का कार्यकारी ज्ञान।
(ii)-		सहायक भण्डारी	1-माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से इंटरमीडिएट की परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 2-व्यवसायिक प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद से किसी इंजीनियरिंग व्यवसाय में कोई प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है। या 3-किसी इंजीनियरिंग व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है। 4-हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान रखता हो।
5-	नियंत्रक विधिक माप विज्ञान, उ०प्र०, लखनऊ।	निरीक्षक विधिक माप विज्ञान	1-अभ्यर्थी को एक विषय के रूप में भौतिक विज्ञान सहित विज्ञान में स्नातक की उपाधि या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से प्रौद्योगिकी या अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अर्हता सहित देवनागरी लिपि में हिन्दी में कार्य करने का ज्ञान होना आवश्यक है
6-	आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक, उ०प्र०, लखनऊ।	कलाकार	1-अभ्यर्थी ने भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्यिक कला / ललित कला (बी0एफ0ए0 या बी0बी0ए0) में स्नातक उपाधि प्राप्त कर ली हो।
7(i)-	निदेशक, महिला कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।	अन्वेषक	1-भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र या मनोविज्ञान या समाज कार्य या अर्थशास्त्र में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। 2-किसी मान्यता प्राप्त संस्था के सामाजिक सर्वेक्षण क्षेत्र में एक वर्ष का कार्यकारी अनुभव।
(ii)-		व्यायाम प्रशिक्षक	1-भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। 2-किसी मान्यता प्राप्त संस्था से शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।
(iii)		सहायक अधीक्षक (राजकीय सम्प्रेक्षण गृह / बल सदन)	1-भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र के साथ स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। 2-किसी सरकारी संगठन में या मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन में प्रशासनिक कार्य का एक वर्ष का अनुभव। अधिमानी:- किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सामाजिक विज्ञान या सामाजिक प्रविधि में डिप्लोमा।
(iv)		सहायक अधीक्षक (बालिका राजकीय संरक्षण गृह)	1- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाज शास्त्र के साथ स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। 2-किसी स्वैच्छिक सामाजिक संगठन में या सरकारी संगठन में प्रशासनिक या पर्यवेक्षकीय कार्य का एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। अधिमानी:- किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सामाजिक विज्ञान या सामाजिक सेवा या सामाजिक प्रविधि या समाज कार्य में डिप्लोमा।

(v)		सहायक अधिक्षिका (जिला शरणालय प्रवेशालय केंद्र महिला)	1- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाज शास्त्र के साथ स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। 2-किसी स्वैच्छिक सामाजिक संगठन में या सरकारी संगठन में प्रशासनिक या पर्यवेक्षकीय कार्य का एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। अधिमानी:- समाज कार्य में डिप्लोमा।
(vi)		क्राफ्ट टीचर (केवल महिलाओं हेतु)	1-माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 2-किसी राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त पालिटेक्निक संस्था से संबन्धित ट्रेड में डिप्लोमा अथवा समकक्ष तकनीकी अर्हता।
(vii)		सहायक अध्यापक	1-माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 2-किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से बेसिक टीचर प्रमाण-पत्र या हिन्दुस्तानी टीचर्स प्रमाण-पत्र या जूनियर टीचर प्रमाण-पत्र का होना आवश्यक है। अधिमानी:-किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में दो वर्ष का अध्यापन का अनुभव।
8-	निदेशक, प्रशिक्षण प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ०प्र०, लखनऊ।	पुस्तकालय सहायक	1-माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो । 2-पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र हो । 3-सरकारी या अर्द्धसरकारी संस्था के किसी पुस्तकालय में पुस्तकालय सहायक के रूप में कार्य करने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव हो । अधिमानी:-भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा ।
9-	निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ०प्र०, लखनऊ ।	पर्यवेक्षक, वर्ग-3	1-विज्ञान या कृषि में इंटरमीडिएट के साथ खाद्य प्रसंस्करण में एक वर्षीय डिप्लोमा ।
10-	राज्य मद्यनिषेध विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ ।	प्राविधिक पर्यवेक्षक	1-माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो 2-उ०प्र० सिनेमेटोग्राफी रूल्स, 1951 के नियम-29 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी सिनेमेटोग्राफी आपरेटर अनुज्ञा-पत्र अवश्य रखता हो ।
11-	उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ ।	औद्योगिक सहकारी पर्यवेक्षक	1-भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि और 2-सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से सहकारिता में प्रशिक्षण।
12(i)-	विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश ।	प्रयोगशाला सहायक (भौतिक)	**भौतिक क्षेत्र (डमेन):-** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से भौतिक शास्त्र/विधि विज्ञान के साथ भौतिक शास्त्र ग्रुप/नाभिकीय विज्ञान/ उपकरणीय / इलेक्ट्रानिक्स में बी०एस०सी० अथवा उपकरणीय/इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक इंजीनियरिंग में बी०टेक०।
(ii)		प्रयोगशाला सहायक (रसायन)	**रसायन क्षेत्र (डमेन):-** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से रसायन शास्त्र/विधि विज्ञान के साथ रसायन ग्रुप/जीव रसायन विज्ञान में बी०एस०सी० ।
(iii)		प्रयोगशाला सहायक (जीव विज्ञान)	**जीव विज्ञान क्षेत्र (डमेन):-** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से जीव विज्ञान/विधि विज्ञान के साथ जीव विज्ञान ग्रुप/बायो टेक्नोलाजी/जीव रसायन विज्ञान/जेनेटिक विज्ञान/सेल बायोलाजी/माइक्रोबायोलाजी में बी०एस०सी० ।

(iv)		प्रयोगशाला सहायक (कम्प्यूटर फारेन्सिक)	कम्प्यूटर विज्ञान क्षेत्र (डमेन):- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातक की उपाधि अथवा एन०आई०ई०एल०आई०टी० से "ए" स्तरीय डिप्लोमा।
(v)		वैज्ञानिक सहायक (भौतिक)	भौतिक क्षेत्र (डमेन):- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से भौतिक शास्त्र / विधि विज्ञान के साथ भौतिक शास्त्र में विशिष्टता / नाभिकीय विज्ञान/उपकरणीय/इलेक्ट्रानिक्स में बी०एस०सी० अथवा उपकरणीय/ इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक इंजीनियरिंग/सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी०टेक०।
(vi)		वैज्ञानिक सहायक (रसायन)	रसायन क्षेत्र (डमेन):- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से रसायन शास्त्र/विधि विज्ञान के साथ रसायन शास्त्र में विशिष्टता /जीव विज्ञान में बी०एस०सी०।
(vii)		वैज्ञानिक सहायक (जीव विज्ञान)	जीव विज्ञान क्षेत्र (डमेन):- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से जीव विज्ञान/विधि विज्ञान के साथ जीव विज्ञान में विशिष्टता / बायो टेक्नोलाजी / जीव रसायन विज्ञान / जेनेटिक विज्ञान / सेल बायोलाजी / माइक्रोबायोलाजी में बी०एस०सी०।
(viii)		वैज्ञानिक सहायक (कम्प्यूटर फारेन्सिक)	कम्प्यूटर विज्ञान क्षेत्र (डमेन):- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातक की उपाधि अथवा एन०आई०ई०एल०आई०टी० से "ए" स्तरीय डिप्लोमा।
			अधिमानी अर्हता:- 1-सुसंगत विषय में एम०एस०सी० (जीव विज्ञान/भौतिक विज्ञान/रसायन शास्त्र क्षेत्र (डमेन) के लिए)। 2-कम्प्यूटर विज्ञान में उच्चतर अर्हता (कम्प्यूटर विज्ञान क्षेत्र (डमेन) के लिए)।
13-	निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।	छात्रावास सहायक (पूर्व पदनाम गृहमाता)	1-माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से कला या विज्ञान या गृह विज्ञान में इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 2-किसी संस्थान/संगठन में गृहमाता के रूप में दो वर्षों का व्यावहारिक अनुभव।
14-	प्रमुख संपादक,जिला गजेटियर विभाग,उ0 प्र0 जवाहर भवन,लखनऊ।	पुस्तकालयाध्यक्ष	1-माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अन्य परीक्षा में अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। 2-किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था में पुस्तकालय विज्ञान में उपाधि या डिप्लोमा या उसके समकक्ष अर्हता रखता हो। 3-किसी ख्याति प्राप्त पुस्तकालय में किसी उत्तरदायी पद पर कार्य करने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

9- <u>अधिमानी अर्हता</u>:- उपर्युक्त पदों के लिए अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा, जिसने-

1- प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या

2- राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

10- <u>आयु सीमा :-</u> :- आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई 2016 है और उक्त तिथि को अभ्यर्थी की आयु उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित पद के सम्मुख अंकित आयुसीमा के अंतर्गत हो। जिन पदों हेतु आयु 18 से 40 वर्ष

निर्धारित है, ऐसे पदों के लिए अभ्यर्थी ने 01 जुलाई 2016 (01-07-2016) को 18 वर्ष की आयु अवश्य प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो अर्थात उसका जन्म 02 जुलाई 1976 से पूर्व तथा 01 जुलाई 1998 के बाद न हुआ हो और जिन पदों हेतु आयु 21 से 40 वर्ष निर्धारित है, ऐसे पदों के लिए अभ्यर्थी ने 01 जुलाई 2016 (01-07-2016) को 21 वर्ष की आयु अवश्य प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो अर्थात उसका जन्म 02 जुलाई 1976 से पूर्व तथा 01 जुलाई 1995 के बाद न हुआ हो।

(1)- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणी, के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट हो। शासनादेश दिनांक 28.11.1985 के अनुसार वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों को 5 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट 01 जुलाई 2016 को इस शर्त के साथ अनुमन्य होगी कि उनकी सम्पूर्ण सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु में से घटा कर, परिणामस्वरूप शेष आयु निर्धारित आयु से 03 वर्ष से अधिक न हो। आवेदन की अंतिम तिथि तक सेना से मुक्त होना अनिवार्य है।

(2)- समाज के विकलाँगजनों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यतन, नवीनतम विद्यमान शासनादेश दिनांक 03 फरवरी, 2008 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

11- <u>आरक्षण</u>- उ० प्र० की अनुसूचित जातियों / उ० प्र० की अनुसूचित जनजातियों, उ० प्र०के अन्य पिछड़े वर्गो को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशों के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों यथा – उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/ विकलांगजनों(केवल चिन्हित पदों के सापेक्ष कोटा बनने पर)/ भूतपूर्व सैनिक, उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।

नोट- आरक्षण / आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट -8 में मुद्रित तथा वैबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र/आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जो आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा आवेदन की तिथि तक जारी किया गया हो, अवश्य प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब वे आयोग को प्रस्तुत करें।

12 - <u>चयन का आधार</u>- लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार (क्रमांक-5 को छोड़कर) है। प्रश्नगत पदों पर चयन हेतु उत्तर प्रदेश समूह 'ग' के पदों के लिए सीधी भर्ती (रीति और प्रक्रिया) नियमावली, 2015 अधिसूचना दिनांक

11 मई, 2015 में विहित प्रावधानों के अंतर्गत सीधी भर्ती से संबन्धित लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम निम्नवत है :–

परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम

चरण	विषय	प्रश्नों की संख्या	अंक	समयावधि
प्रथम चरण	प्रथम प्रश्न पत्र			दो घण्टा तीस मिनट
	भाग–1– सामान्य बुद्धि परीक्षण	25	50	
	भाग–2– सामान्य ज्ञान	50	100	
	भाग–3–सामान्य विज्ञान/अंकगणित	75	150	
	योग–	150	300	
	द्वितीय प्रश्न पत्र			
	सामान्य हिन्दी	25	50	एक घण्टा
	योग–	175	350	
द्वितीय चरण	साक्षात्कार	–	50	
	कुल योग–	–	400	

पाठ्यक्रम

प्रथम प्रश्न पत्र–

भाग–1 सामान्य बुद्धि परीक्षण

(1) युक्तिसंगत एवं आलोचनात्मक तथा विश्लेषणात्मक योग्यता।

(2) सामान्य मानसिक योग्यता–ऐसे प्रश्न जिनसे अभ्यर्थी की परिणाम परक अभिक्षमता की परख हो सके।

(3) सांख्यिकीय विश्लेषण–ग्राफ और डायग्राम, जिनसे अभ्यर्थियों की सांख्यिकीय, ग्राफकीय, डायग्राम सम्बन्धी प्रस्तुत सूचना से सामान्य ज्ञान सम्बन्धी परिणाम, निष्कर्ष निकालने की क्षमता की परख हो सके।

भाग–2 सामान्य ज्ञान

(1) कम्प्यूटर ज्ञान–कम्प्यूटर का परिचय, हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर, कम्प्यूटर नेटवर्क, इन्टरनेट एवं ई–मेल।

(2) उ0प्र0 पर आधारित विशिष्ट प्रश्न–शिक्षा, संस्कृति कृषि, जनसंख्या, व्यापार एवं वाणिज्य, उद्योग, सामाजिक प्रथायें, ललित कला,लोक कलाएं (गायन, संगीत, नाटक आदि विधाओं की सामान्य जानकारी) आदि।

(3) अन्तर्वैयक्तिक क्षमता जिसमें सम्प्रेक्षण कौशल, निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान भी समाहित होगा।

(4) सामान्य मानव व्यवहार–अनुशासन, नैतिकता, नेतृत्व, महिलाओं का सशक्तीकरण।

(5) भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन–भारतीय इतिहास के अन्तर्गत सामाजिक,आर्थिक एवं राजनैतिक पक्षों की सामान्य जानकारी। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आन्दोलन,राष्ट्रीयता का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में सारपरक जानकारी अपेक्षित है ।

(6) भारत एवं विश्व भूगोल,भारत एवं विश्व का भौतिक,सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल– भारत के भूगोल के अन्तर्गत देश के भौतिक,सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होगें। विश्व भूगोल में विषय की केवल सामान्य जानकारी अपेक्षित होगी ।

(7) भारतीय राजनीति एवं शासन,संविधान,राजनीतिक व्यवस्था,पंचायती राज,लोकनीति एवं अधिकारित मुद्दे आदि–भारतीय राजनीति एवं शासन के अन्तर्गत देश के संविधान,पंचायतीराज तथा सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान से संबंधित प्रश्न होगें ।

(8) भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास एवं गांधी विचारधारा–अभ्यर्थियों के जनसंख्या, पर्यावरण तथा नगरीकरण से संबंधित समस्याओं एवं पारस्परिक संबंध, भारतीय आर्थिक नीति एवं भारतीय संस्कृति के व्यापक स्वरुप के ज्ञान का परीक्षण किया जायेगा। बैकिंग, बहीलेखन और लेखाशास्त्र आदि से संबंधी प्रश्न होगें।

(9) राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनायें–इसमें खेलकूद के प्रश्न भी सम्मिलित होगें

(10) भारतीय कृषि–भारत में कृषि, कृषि उत्पाद एवं उसके विपणन के संबंध में सामान्य जानकारी की अपेक्षा अभ्यर्थियों से होगी।

भाग–3 सामान्य विज्ञान तथा अंक गणित

(1) सामान्य विज्ञान--सामान्य विज्ञान(विज्ञान,जीव विज्ञान,रसायन,भौतिकी) के प्रश्न दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य परिबोध एवं जानकारी पर आधारित होगें, जिसकी ऐसे किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है,जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया हो। इसमें भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका संतुलित आहार, कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोटीन, विटामिन, डायरिया, विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां एवं बचाव, एनीमिया, विभिन्न बीमारियों में भोज्य पदार्थ का महत्व,टीकाकरण का महत्व, जलचक्र, जलस्रोत के प्रकार, पेयजल गुणवत्ता के मानक,एक्यूफर, इलेक्ट्रो मैगनेटिक रेजिस्टिविटी सर्वेक्षण आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगें।

(2) प्रारम्भिक गणित हाईस्कूल स्तर तक– इसमें अंकगणित,बीजगणित एव रेखागणित से संबंधित प्रश्न होगें ।

द्वितीय प्रश्न पत्र

सामान्य हिन्दी

(1) अपठित गद्यांश का संक्षेपण, उससे सम्बन्धित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या एवं उसका उपयुक्त शीर्षक।

अथवा

अपठित उर्दू गद्यांश का संक्षेपण, उससे सम्बन्धित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या एवं उसका उपयुक्त शीर्षक।

(केवल सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के अपर जिला सूचना अधिकारी/संवीक्षक (उर्दू) के पद के अभ्यर्थियों के लिये)

(2) शासकीय, अर्द्धशासकीय, वैयक्तिक तथा व्यवसायिक समस्याओं के निराकरण हेतु सम्बन्धित को सम्बोधित पत्र कार्यालय आदेश, अधिसूचना और परिपत्र सम्बन्धी प्रश्न।

(3) वर्ण एवं ध्वनि विचार: उच्चारण, लेखन, स्वर,व्यंजन, मात्रा–पहचान और प्रयोग, ध्वनियों का वर्गीकरण।

(4) शब्द रचना: सन्धि एवं सन्धि विच्छेद,समास,उपसर्ग,प्रत्यय ।

(5) शब्द प्रकार: (क) तत्सत,अर्धतत्सम,तद्भव,देशज,विदेशी ।
(ख) संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, किया, अव्यय(किया विशेषण,संबन्ध सूचक, विस्मयबोधक निपात)

(6) शब्द ज्ञान: पर्यायवाची,विलोम, शब्द युग्मों का अर्थ भेद ,वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्दों का विवेक, उपयुक्त शब्द चयन, संबंधवाची शब्दावली।

(7) शब्द शुद्धि ।

(8) व्याकरणिक कोटियॉ : परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, पक्ष, वाच्य ।

(9) वाक्य रचना, प्रकार–सरल, संयुक्त, मिश्र, वाक्य शुद्धि ।

(10) विराम चिन्हों का प्रयोग ।

(11) मुहावरें/लोकोक्तियॉ ।

(12) अनुवाद: समतुल्य शब्द चयन, वाक्यांश का अर्थ ।

(13) उ0प्र0 की मुख्य बोलियॉं तथा हिन्दी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियॉं।

(14) हिन्दी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद।

(15) हिन्दी भाषा/हिन्दी साहित्य का सामान्य ज्ञान।

अथवा

उर्दू भाषा/उर्दू साहित्य का सामान्य ज्ञान।

(केवल सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के अपर जिला सूचना अधिकारी/संवीक्षक (उर्दू) के पद के अभ्यर्थियों के लिये)

<u>नोट</u>- परीक्षा तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा ।

13- <u>वरीयता</u> - अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय विभाग व पद की वरीयता देनी होगी । आयोग अभ्यर्थियों की प्रवीणता क्रम में जैसा कि अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और पद की उपलब्धता, शैक्षिक अर्हता, श्रेष्ठता एवं अभ्यर्थियों द्वारा दिये गए वरीयता के विकल्प के अनुसार संस्तुति करने का प्रयास करेगा किन्तु इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।

14- <u>अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अनुदेश-</u>

(1) उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।

(2) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी दी जाएगी।

(3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित / भूतपूर्व सैनिक, विकलांगजन तथा महिला अभ्यर्थियों को, जो उ०प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जाएंगे। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

(4) वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी तथा भूतपूर्व सैनिक, विकलांगजन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अद्यावधिक निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र पर अपना दावा प्रस्तुत करेंगे अन्यथा अभ्यर्थी द्वारा एतदर्थ किया गया दावा स्वीकार नहीं होगा।

(5) उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, जैसी भी स्थिति हो, की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो, ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उसके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा।

(6) उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो । ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा।

(7) ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का दावा करते हैं उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ प्रस्तुत प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम,1993 यथासंशोधित के अनुक्रम में जारी शासनादेश दिनांक 21 अप्रैल, 2015 के साथ संलग्न प्रारूप पर तथा यह कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी उत्तर प्रदेश के अधिवासी है या फिर वह तथा अभ्यर्थी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का (1) पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) अथवा (2) पौत्र अर्थात (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) या पौत्री अर्थात (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) विवाहित या अविवाहित हैं।

(8) ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से विकलांग होने का दावा करते हैं, उन्हे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ आवेदन के साथ प्रस्तुत प्रमाण पत्र, कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-18/1/2008-का-2-2008, दिनांक 03 फरवरी 2008 में निर्धारित प्रारूप पर तथा यह कि उक्त प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी की विकलांगता का प्रतिशत स्पष्ट रूप से उल्लिखित है।

(9) जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत हैं, वे अपने सेवायोजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें जिसे मांगे जाने पर आयोग को प्रस्तुत करना होगा, प्रारम्भ में अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है, परंतु इस आधार पर विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों को कालबाधित माना जाएगा।

(10) राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उ० प्र० शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या: 2-ई.एम. /2001-का-4-2013, दिनांक 27 अगस्त,2013 के अनुसार अधिकतम आयुसीमा में पाँच वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

(11) ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी है, पात्र नहीं समझे जाएंगे। बशर्ते कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबंध से मुक्ति प्रदान न कर दी गई हो।

(12) अभ्यर्थी के अर्ह / अनर्ह होने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(13) एक से अधिक क्षैतिज आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट जो अधिक लाभकारी होगी, दी जाएगी ।

(14) चयनित महिलाओं, उ०प्र०स्वंतत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिकों तथा विकलांगजन को (केवल चिन्हित पदों के सापेक्ष कोटा बनने पर) आरक्षण अधिनियम 1993 यथा संशोधित में विद्यमान नियमानुसार उन श्रेणियों में रखा जाएगा, जिनसे वे संबन्धित हैं।

(15) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वंतत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, महिला अभ्यर्थियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा विकलांगजन, को जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं हैं , ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के माने जायेंगे । महिला अभ्यर्थिनियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा ।

(16)आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को उपर्युक्त बिन्दु-7 की सारणी-1 में उल्लिखित पदों के सापेक्ष बिन्दु-8 की सारणी-3 में विहित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए।

(17) उपर्युक्त बिन्दु-7 की सारणी में उल्लिखित पदों के सापेक्ष बिन्दु-13 के सम्बन्ध में विभाग व पदों की की वरीयता का विकल्प साक्षात्कार के समय भरा जाना अनिवार्य है।

15- <u>अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश</u> –

1- किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है।

2- ऑनलाइन आवेदन "सबमिट" हो जाने के पश्चात आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी की श्रेणी, उपश्रेणी, जन्मतिथि, जेंडर (लिंग) आदि में परिवर्तन अनुमन्य नहीं है। अतः रजिस्ट्रेशन करते समय व आवेदन सबमिट करते समय सभी सूचनाएँ सही-सही भरें। गलत जेंडर (लिंग) भरने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अतः गलत जेंडर (लिंग) न भरें। ऑनलाइन प्रक्रिया में आवेदक द्वारा भरी गयी सूचनाएँ अंतिम हैं, इसमें आयोग द्वारा संशोधन किया जाना संभव नहीं है।

3- हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी । जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा ।

4- आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा ।

5- परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के संबंध में अनुक्रमांक सहित प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केंद्र में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा ।

6- जो अभ्यर्थी कालांतर में अर्ह नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।

7- आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर आवेदन "सबमिट" नहीं होगा।

8- निर्धारित साइज़ की फोटो अपलोड न करने तथा निर्धारित स्थान पर स्पष्ट हस्ताक्षर न करने अथवा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर न करने पर अभ्यर्थियों का आवेदन तथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा ।

9- आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबंधिक प्रवेश देगा, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था,उक्त स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि नियुक्ति हेतु संस्तुति भी कर दिया गया हो तो आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

10- कदाशय अर्थात परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिवारित किया जा सकता है।

11- नियुक्त हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा ।

12- ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन "सबमिट" करने की अंतिम तिथि तक वांछित अनिवार्य अर्हता नहीं रखते हैं, वे इस परीक्षा में आवेदन न करें क्योंकि वे पात्र नहीं हैं। उनका अभ्यर्थन स्वीकार नहीं होगा।

13- आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं देते हैं। इसलिए उन्हे विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वे तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जाए कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह हैं।

14- किसी अनाचार/कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छुपाने, अभियोजन/ अपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों के गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन / चयन के संबंध में सिफ़ारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित करने का अधिकार आयोग का होगा।

15- यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष नंबर 0522-2720814 द्वारा अथवा वैबसाइट पर कांटैक्ट-अस से अपनी कठिनाई/ समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।

16- ऑनलाइन आवेदन शुल्क / परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 17.12.2016 तथा आवेदन स्वीकार "सबमिट" किए जाने की अंतिम तिथि 19.12.2016 है।

26/XI/16

सचिव
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
लखनऊ।

Detailed Application Form:

At the top of the page there is a declaration for the candidates are advised to go through the content of the declaration carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the content of Declaration by

clicking on 'I Agree' or 'I do not agree 'buttons. In case the candidate opts to disagree the application will be dropped and procedure will be terminated. Accepting to agree only will submit the candidate's On-Line Application.

Notification Details:

This section shows information relevant to Notification.

Personal Details

This section show information about candidate personal details i.e. Registration Number, candidate name, Father/Husband name, Gender, DOB, UP domicile, Category, Marital Status, email ID and contact number.

Other Details of candidate

Other Details of candidate shows the information about UP Freedom Fighter, Ex-Army service duration and physical deformity.

Education & experience Details

It shows education and experience details of the candidate.

Candidate address, photo & signature details

It shows communication address and photo with signature of the candidate.

Declaration segment

At the bottom of the page there is a " Declaration" for the candidates. Candidates are advised to go through the content of the Declaration carefully.

After filling all above particulars there is provision for preview candidates detail before final submission of application form on clicking on **"Preview"** button.

Preview page will display all facts/Particulars that the candidates have mentioned on entry time. If they are sure with filled details then click on **"Submit"** button to finally push data into server with successfully submission report that they can print.

Otherwise using **"Back"** button the details can be modified.

(CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "PRINT" OPTION AVAILABLE)

For other information candidates are advised to select desired option in 'Home page' of commission's website http://upsssc.gov.in CANDIDATE SEGMENT.

CANDIDATE SEGMENT
ALL Notification/Advertisements
Candidate Registration (First Stage)
Candidate E-Challan/I-Collect (Second Stage)
Submit Application Form (Third Stage)
View Application Status
List of Applications Having Photo related Objections
Download form for Eligibility Checking
Download Interview Letter
Duplicate Registration Slip & Application form
Download syllabus

(1)LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATION: On–line - Application process must be completed (including filling up of Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the web-link will be disabled.

परिशिष्ट–8

उ0प्र0, की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित, जन जाति के लिए जाति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... उत्तर प्रदेश राज्य की .... जाति के व्यक्ति है जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .... तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के .... ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... में सामान्यतया रहता है।

स्थान .... हस्ताक्षर ....

दिनांक .... पूरा नाम ....

मुहर .... पद का नाम ....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/

अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... उत्तर प्रदेश राज्य की .... पिछड़ी जाति के व्यक्ति है। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची–दो (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एव जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता–पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय 8 लाख रूपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... में सामान्यतया रहता है।

स्थान .... हस्ताक्षर ....

दिनांक .... पूरा नाम ....

मुहर .... पद का नाम ....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

प्रारूप–2

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम) .... राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री .... निवासी (पूरा पता) .... ने दिनांक .... से दिनांक .... तक में (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम .... आयोजित राष्ट्रीय .... में उनकी टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र .... (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान .... हस्ताक्षर ....

दिनांक .... नाम ....

पद ....

संस्था का नाम ....

पता ....

मुहर ....

नोट: यह प्रमाण–पत्र प्रदेशीय खेल–कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप–3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम .... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री .... निवास (पूरा नाम) .... विश्वविद्यालय की कक्षा .... के विद्यार्थी ने दिनांक .... से दिनांक .... तक .... (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय .... (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण–पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद .... विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान .... हस्ताक्षर ....

दिनांक .... नाम ....

पद .... संस्था का नाम ....

मुहर ....

नोट: यह प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल–कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप–4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल–कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डाइरेक्टर आफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश .... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री .... निवासी (पूरा पता) .... में .... स्कूल में कक्षा .... के विद्यार्थी ने दिनांक .... से दिनांक .... तक .... (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की .... (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान .... हस्ताक्षर ....

दिनांक .... नाम ....

पद ....

संस्था का नाम ....

पता ....

मुहर ....

नोट: यह प्रमाण–पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा .... द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

सचिव

उ0प्र0 के विकलांगों के लिये प्रमाण–पत्र

CERTIFICATE FOR PHYSICALLY HANDICAP OF U.P.

NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL

Certificate No. ....

DISABILITY CERTIFICATE

This is certified that Shri/Smt./Kum. ....

Son/Wife/Daughter of Shri .... age ....

Sex .... identification mark (S) .... is suffering from permanent disability of following category.

A. Locomotor of cerebral palsy:

- (i) BL-Both legs affected but not arms.
- (ii) BA-Both arms affected
  - (a) Impaired reach
  - (b) Weakness of grip
- (iii) BLA-Both legs and both arms affected
- (iv) OL-One leg affected (right or left)
  - (a) Impaired reach
  - (b) Weakness of grip
  - (c) Ataxic
- (v) OA-One arm affected
  - (a) Impaired reach
  - (b) Weakness of grip
  - (c) Ataxic
- (vi) BH-Stiff back and hips (Cannot sit or stoop)
- (vii) MW-Musculer weakness and limited physical endurance.

B Blindness or Low Vision:

- (i) B-Blind
- (ii) PB-Partialy Blind

C Hearing Impairment.

- (i) D-Deaf
- (ii) PD-Partialy Deaf

(Delete the category whichever is not applicable)

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve /not likely to improve. Re-assesse of this case is not recommended/is recommended after a period of .... year .... months.

3 Percentage of disability in his/her case is .... percent.

4. Sh /Smt /Kum. .... meets the following physical requirements discharge of his/her duties

(i)	F-can perform work by manipulating with figers.	Yes/No
(ii)	PP-can perform work by pulling and pushing	Yes/No
(iii)	L-can perform work by lifting	Yes/No
(iv)	KC-can perform work by kneeling and couching.	Yes/No
(v)	B-can perform work by bending.	Yes/No
(vi)	S-can perform work by sitting.	Yes/No
(vii)	ST-can perform work by standing.	Yes/No
(viii)	W-can perform work by walking	Yes/No
(ix)	SE-can perform work by seeing.	Yes/No
(x)	H-can perform work by hearing/speaking.	Yes/No

(xi) RW-can perform work by reading and writing	Yes/No	
(Dr. ......)	(Dr. ....)	(Dr.......)
Member	Member	Chairperson
Medical Board	Medical Board	Medical Board
		Countersigned by the
		Medical Superintendent/
		CMO/HO
		Hospital (with seal)

Strike out which is not applicable.

उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... निवासी .... ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) .... पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री विवाहित/अविवाहित उपरोक्त अधिनियम 1993 के ही प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) .... के आश्रित हैं।

हस्ताक्षर .... पूरा नाम ....

स्थान .... मुहर ....

दिनांक .... जिलाधिकारी ....

सील ....

कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण–पत्र जो उ0प्र0 के मूल निवासी हैं

शासनादेश संख्या–22/21/1983–कार्मिक–2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985

प्रमाण–पत्र के फार्म – 1 से 4

प्रारूप – 1

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम .... राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री .... निवासी .... पूरा पता .... ने दिनांक .... से दिनांक .... तक .... (स्थान का नाम) में आयोजित .... (क्रीड़ा/खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में देश की ओर से भाग लिया।

उनकी टीम ने उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में .... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय ऐसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) .... में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान .... हस्ताक्षर ....

दिनांक .... नाम ....

पद ....

संस्था का नाम ....

मुहर ....

नोट : यह प्रमाण–पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल ऐसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।